

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएँ राज. जयपुर

क्रमांक :- ई-18/एम/रा.से.पृ./जोन-उदयपुर/एफ.04938/2024/302 दिनांक : 25/04/2024

**आदेश**

श्री अक्षय जोशी, कनिष्ठ सहायक, खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, लसाडिया, सलूम्वर जिनकी जन्म तिथि 13.09.1995 है का राज्य सेवा में रहते दिनांक 29.01.2024 को स्वर्गवास हो गया है, का नाम दिनांक 29.01.2024 से राज्य सेवा से पृथक/विलोपित किया जाता है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि स्व० श्री अक्षय जोशी, कनिष्ठ सहायक, खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, लसाडिया, सलूम्वर के विरुद्ध:-

- (1) राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जाँच विचाराधीन/लंबित नहीं हैं।
- (2) राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लंबित नहीं है।
- (3) कोई न्यायिक कार्यवाहिया विचाराधीन/लंबित नहीं है।

(राकेश कुमार शर्मा)

निदेशक (अराजपत्रित)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ

राजस्थान, जयपुर

क्रमांक :- ई-18/एम/रा.से.पृ./जोन-उदयपुर/एफ.04938/2024/302 दिनांक : 25/04/2024  
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला सलूम्वर।
3. चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, लसाडिया, सलूम्वर।
4. प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करावें।
5. स्व० श्री अक्षय जोशी, कनिष्ठ सहायक को उनके प्रशासनिक अधिकारी।
6. आदेश/रक्षित पत्रावली।

उक्त कर्मचारी के विरुद्ध यदि आडिट पेरा या अन्य कोई वसूली बकाया हो तो उसकी वसूली तत्काल कर निदेशालय को अवगत करावे।

निदेशक (अराजपत्रित)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ  
राजस्थान, जयपुर

RajKaj Ref  
6709435

Document certified by RAKESH KUMAR  
SHARMA <rasrakeshsharma@gmail.com>.

Digitally Signed by Rakesh  
Kumar Sharma  
Designation: Director  
Date :23-04-2024 05:57:37